

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सां०नि०/अग्रिम अध्ययन/2018/६।०९
कार्यालय आदेश

दिनांक:- १८-१२-२०१८

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सांख्यिकी निरीक्षक को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	परीक्षा जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है।	पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1.	देवीलाल सिंहाग	एम०ए०(इकोनोमिक्स) फाईनल	सहायक निदेशक, आ०एवं सां०विभाग, चुरू
2.	गणेश सिंह राठौड़	एम०ए०(इकोनोमिक्स) प्रीवियस	सहायक निदेशक, आ०एवं सां०विभाग, टोक
3.	चणनाराम	नेट जेआरएफ	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, भोपालगढ़, जोधपुर
4.	भवरलाल	एम०ए०(इकोनोमिक्स) प्रीवियस	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, तिवरी, जोधपुर
5.	अनिता	एम०ए०(इकोनोमिक्स) प्रीवियस	जिला परिषद, श्रीगंगानगर
6.	कुलविन्द्र सिंह	एम०ए०(इकोनोमिक्स) प्रीवियस	मुख्य आयोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर
7.	आनन्द जॉर्ज़िड़	ASSISTANT AGRICULTURAL MARKETING ADVISER	आयोजना (ग्रुप-१) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
8.	कंवर सिंह	नेट-जेआरएफ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (केन्द्रीय विद्यालय संगठन)	विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, जोधपुर
9.	मुकेश कुमार भीणा	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, स्कूल व्याख्याता 2018 एवं केवीएस पीजीटी 2018-19	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, नदबई, भरतपुर
10.	ओमप्रकाश लीलर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, मण्डोर जोधपुर
11.	अमितपाल सिंह चौहान	एम०ए०(इकोनोमिक्स) प्रीवियस	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, बावड़ी, जोधपुर
12.	महेन्द्र कुमार भीणा	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, यू जी सी नेट 2018 जुलाई 2019	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, मुण्डावर, अलवर
13.	शैलेष गौतम	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, स्कूल व्याख्याता 2018	सहायक निदेशक, आ०एवं सां०विभाग, बूंदी
14.	अजय कुमार	एम०ए०(इकोनोमिक्स) प्रीवियस	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, हिण्डोली, बूंदी

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्त निम्नानुसार है:-

- शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
- विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- अध्ययन से राजसेवक दैनिक राज्य के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
- अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश देय होगा।
- प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(कुलदीप भट्टानागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (प्रशासन),